न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री जयसिंह आरएएस

मु0नं0 – 14/2021(21/7)

सुभाष पुत्र बेलीराम जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम

1. बेलीराम पुत्र जेसाराम जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
2. जगमाल पुत्र बेलीराम जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
3. बिमला पुत्री बेलीराम जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
4. कमला पुत्री बेलीराम जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
5. राजबाला पुत्री बेलीराम जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : **वादी**

वकील श्री रोहताश शर्मा**: प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5**

निर्णय दिनांक : 26/7/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 2 एएमएस की जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 73/70 के मु.न. 3 के कि.नं. 25/1 की 0.126 हैक्टर, मु.नं. 4 की किला नं. 9 की 0.076 हैक्टर, किला नं. 10 की 0.101 हैक्टर, किला नं. 11, 12, 19 ता 22 प्रत्येक किला 0.253 है. मु.नं. 5 के किला नं. 1, 10, 11 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, मु.नं. 6 के किला नं. 5, 6, 15 प्रत्येक किला की 0.253 है. मु.नं. 20 के किला नं. 17, 18, 24 प्रत्येक किला की 0.253 है. मु.नं. 21 के किला नं. 4 की 0.253 है. किला नं. 5/1 की 0.114 हैक्टर कुल किता 20 का कुल क्षेत्रफल 4.465 है. जिसमें नहरी 4.3380 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.0520 है. गै.मु. खाला 0.075 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बेलीराम के नाम से खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले प्रतिवादी सं. 1 को अपने पिता जेसाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जैसाराम का देहान्त होने पर प्रतिवादी सं. 1 कर्ता एवं वारिस होने के नाते उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 बेलीराम के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गई। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 का जन्म से हक एवं अधिकारी निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:44:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया जिसमें प्रतिवादी सं. 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया है, इसी अनुसार वादभूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु वादभूमि रिकार्ड माल में तन्हा प्रतिवादी सं. 1 बेलीराम के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी हकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 6 बैंक को वकील वादी ने तर्क किया। प्रतिवादी सं0 7 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी सुभाष के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी चक 2 एएमएस सम्बत 2076–79 खाता संख्या 73/70 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 2 एएमएस सम्बत 2029–38 खाता संख्या 30 प्रदर्श 2, शपथ पत्र बाबत वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि हम वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सहदायिकी सम्पति है जिसमें वादी का भी जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मोजा चक 2 एएमएस की जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 73/70 के मु.न. 3 के कि.नं. 25/1 की 0.126 हैक्टर, मु.नं. 4 की किला नं. 9 की 0.076 हैक्टर, किला नं. 10 की 0.101 हैक्टर, किला नं. 11, 12, 19 ता 22 प्रत्येक किला 0.253 है. मु.नं. 5 के किला नं. 1, 10, 11 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, मु.नं. 6 के किला नं. 5, 6, 15 प्रत्येक किला की 0.253 है. मु.नं. 20 के किला नं. 17, 18, 24 प्रत्येक किला [illegible] है. मु.नं. 21 के किला नं. 4 की 0.253 है. किला नं. 5/1 [illegible] कुल क्षेत्रफल 4.465 है. जिसमें नहरी 4.3380 हैक्टर [illegible] कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बेलीराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। जिससे वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। शपथ पत्र बाबत वारिस प्रमाण में बेलीराम के वारिसान में पत्नि लिछमा फौत, तीन पुत्री कमला, बिमला व राजबाला एवं दो पुत्र जगमाल व सुभाष

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:44:08 IST
Reason: SelfAttested

मौजूद होना एवं इनके अलावा अन्य कोई वारिस नही होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 2 एएमएस की जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 73/70 के मु.न. 3 के कि.नं. 25/1 की 0.126 हैक्टर, मु.नं. 4 की किला नं. 9 की 0.076 हैक्टर, किला नं. 10 की 0.101 हैक्टर, किला नं. 11, 12, 19 ता 22 प्रत्येक किला 0.253 है. मु.नं. 5 के किला नं. 1, 10, 11 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, मु.नं. 6 के किला नं. 5, 6, 15 प्रत्येक किला की 0.253 है. मु.नं. 20 के किला नं. 17, 18, 24 प्रत्येक किला की 0.253 है. मु.नं. 21 के किला नं. 4 की 0.253 है. किला नं. 5/1 की 0.114 हैक्टर कुल किता 20 का कुल क्षेत्रफल 4.465 है. जिसमें नहरी 4.3380 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.0520 है. गै.मु. खाला 0.075 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या–1 बेलीराम के बजाय वादी 1/3 व प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक 1/3 – 1/3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 3 ता 5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:44:08 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी) राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़